

सहायक कलक्टर बत्ती ज़ि. जयपुर

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

01/2021

मंगल बत्ताम गोपी

विशेष विवरण

05/07/21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की संकेत छ.  
श्री विनोद शर्मा एवं अप्रार्थीगण की ओर  
से छ. श्री राजेश शर्मा उपस्थित।  
उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र  
नाम दृजद किये जाने एवं प्रार्थना पत्र  
धारा 151 सीपीसी दोनों पर बंद की  
गई। उभयपक्ष अधिवक्ता की उक्त  
दोनों प्रार्थना पत्रों पर बंद सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड  
का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष  
अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र नाम दृजद  
किये जाने पर बंद सुनने के उपरान्त  
न्यायद्वि को ध्यान में रखते हुए मृतक  
अप्रार्थी गोपी पुत्र गंगाराम के वारिस  
पहले से ब्राह्मण में पंजीकृत होने से  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया  
जाकर मृतक गोपी पुत्र गंगाराम के  
नाम के आगे नाम दृजद शब्द अंकित  
किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी  
पर दौरान बंद प्रार्थी अधिवक्ता ने  
सिवेदन किया कि मंगल बत्ताम गोपी  
उनवानी प्रकरण इस न्यायालय में  
पूर्व में विचाराधीन रहा है जिसका  
वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री  
दिनांक 21/06/2017 को पारित करते  
हुए वादग्रस्त आराजी के 118 दिससे  
का खातेदार काश्तवाल घोषित  
किया गया है एवं उक्त निर्णय एवं

डिक्री की पालना हेतु इस न्यायालय में इजराय प्रार्थना पत्र विचाराधीन है एवं इजराय की पालना होने तक रिपोर्ट एवं मोडै डि मथास्थिति बताये रखने हेतु अप्रार्थीगणों को पाबन्द किये जाते हेतु आदेश प्रदान किये जाते का निवेदन किया।

उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी आदिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की दृष्टि से उक्त प्रार्थना पत्र का पूर्ण प्रत्याख्यान के अनुसार मेंटेनेन्स नही होने के कारण भारी हर्ष खर्च के लिये कांजि फरमाये जाते हेतु निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष आदिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र धारा 15A लीमीसी पर बहस पर मनन करने के उपरान्त हम पाते हैं कि इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र में वर्णित श्रद्धे के संबंध में वाद विवदाधीन रद्द है जिसका निस्तारण किया जा चुका है एवं निर्णय व डिक्री की पालना करवाने हेतु प्रार्थी ने इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। इजराय की पालना इस न्यायालय द्वारा जारी स्वयं आदेश से सम्भावित ही रही है अतः प्रार्थी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>द्वारा प्रस्तुत पार्थना पत्र धारा 151 सीजीसी अन्तर्गत स्थगन आदेश जारी क्रिये का खासिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। <u>कम</u></p>	